

बीए-जेएमसी		
क्र.सं.	विवरण	शुल्क (रुपये)
1	प्रवेश शुल्क	15000
2	शिक्षण शुल्क (प्रति दो सैमेस्टर)	10000
3	विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क	500
4	अन्य विश्वविद्यालय से आने वाले छात्रों द्वारा देय पात्रता शुल्क	500
5	क्रीड़ा शुल्क	200
6	पुस्तकालय शुल्क (प्रति दो सैमेस्टर)	400
7	परीक्षा शुल्क (प्रति दो सैमेस्टर)	1000
8	विश्वविद्यालय छात्र संघ सदस्यता शुल्क	100
9	विद्यार्थी दुर्घटना सुरक्षा बीमा हेतु अंशदान	100
10	विद्यार्थी धरोहर राशि (प्रवेश के समय)	2000
11	पहचान पत्र शुल्क (प्रति वर्ष)	100
12	पहचान पत्र की दूसरी प्रति हेतु शुल्क	200
13	विद्यार्थी सहायता कोष शुल्क	----
14	प्रकाशन शुल्क	-----
15	विषय परिषद शुल्क	----
16	विकास कोष शुल्क	-----
17	चुनाव शुल्क	200
18	चरित्र प्रमाण पत्र शुल्क	50
19	स्थानांतरण प्रमाण पत्र शुल्क	100
20	पार्किंग शुल्क	---
21	प्रयोगशाला शुल्क (एक बार में)	1000
22	स्टूडियो शुल्क (एक बार में)	-----

एमए-जेएमसी		
क्र.सं.	विवरण	शुल्क (रुपये)
1	प्रवेश शुल्क	20000
2	अंतर विभागीय शुल्क	100
3	शिक्षण शुल्क (प्रति दो सैमेस्टर)	15000
4	विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क	500
5	अन्य विश्वविद्यालय से आने वाले छात्रों द्वारा देय पात्रता शुल्क	500
6	क्रीड़ा शुल्क	200
7	पुस्तकालय शुल्क (प्रति दो सैमेस्टर)	400
8	परीक्षा शुल्क (प्रति दो सैमेस्टर)	1000
9	विश्वविद्यालय छात्र संघ सदस्यता शुल्क	100
10	विद्यार्थी दुर्घटना सुरक्षा बीमा हेतु अंशदान	100
11	विद्यार्थी धरोहर राशि (प्रवेश के समय)	2000
12	पहचान पत्र शुल्क (प्रति वर्ष)	100
13	पहचान पत्र की दूसरी प्रति हेतु शुल्क	200
14	विद्यार्थी सहायता कोष शुल्क	
15	प्रकाशन शुल्क	
16	विषय परिषद शुल्क	
17	विकास कोष शुल्क	
18	चुनाव शुल्क	200
19	चरित्र प्रमाण पत्र शुल्क	50
20	स्थानांतरण प्रमाण पत्र शुल्क	100
21	पार्किंग शुल्क	
22	प्रयोगशाला शुल्क (एक बार में)	1000
23	स्टूडियो शुल्क (एक बार में)	-----

डिप्लोमा 6 माह		
क्र.सं.	विवरण	शुल्क (रुपये)
1	प्रवेश शुल्क	8000
2	शिक्षण शुल्क	3000
3	विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क	500
4	अन्य विश्वविद्यालय से आने वाले छात्रों द्वारा देय पात्रता शुल्क	500
5	क्रीड़ा शुल्क	-----
6	पुस्तकालय शुल्क	200
7	परीक्षा शुल्क	500
8	विश्वविद्यालय छात्र संघ सदस्यता शुल्क	-----
9	विद्यार्थी दुर्घटना सुरक्षा बीमा हेतु अंशदान	100
10	विद्यार्थी धरोहर राशि (प्रवेश के समय)	-----
11	पहचान पत्र शुल्क (प्रति वर्ष)	100
12	पहचान पत्र की दूसरी प्रति हेतु शुल्क	200
13	विद्यार्थी सहायता कोष शुल्क	
14	प्रकाशन शुल्क	
15	विषय परिषद शुल्क	
16	विकास कोष शुल्क	
17	चुनाव शुल्क	-----
18	चरित्र प्रमाण पत्र शुल्क	50
19	स्थानांतरण प्रमाण पत्र शुल्क	100
20	पार्किंग शुल्क	-----
21	प्रयोगशाला शुल्क (एक बार में)	-----
22	स्टूडियो शुल्क (एक बार में)	-----

(क) पीएच-डी प्रवेश परीक्षा शुल्क

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश परीक्षा शुल्क
1.	पीएच-डी प्रवेश परीक्षा शुल्क	3000

(ख) कोर्स वर्क शुल्क

क्र.सं.	विवरण	शुल्क (रुपये)
1.	प्रवेश शुल्क	500
2.	नामांकन शुल्क	500
3.	प्रव्रजन प्रमाण-पत्र शुल्क	200
4.	विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा अंशदान (प्रति वर्ष)	100
5.	छ माह या उसके भाग के कोर्स वर्क हेतु शिक्षण शुल्क	15000
6.	विद्यार्थी धरोहर राशि (वापसी योग्य)	2000
7.	छात्र संघ शुल्क (प्रति वर्ष)	300
8.	पहचान पत्र शुल्क (प्रति वर्ष)	100
9.	कोर्स वर्क परीक्षा शुल्क	1000

(ग) – शोध कार्य शुल्क

1.	पीएच-डी पंजीकरण शुल्क	10000
2.	शिक्षण शुल्क (प्रति दो सेमेस्टर)	30000
3.	पुस्तकालय शुल्क (प्रति दो सेमेस्टर)	1000
4.	पुनः पंजीकरण (सतत मूल्यांकन में दो बार विफल होने पर) शुल्क	5000
5.	शोध प्रबन्ध जमा कराने का शुल्क	10000
6.	शोध प्रबन्ध पुनः जमा करवाने का शुल्क (आवश्यकतानुसार)	5000
7.	शोध प्रबन्ध मूल्यांकन शुल्क	5000
8.	पुनः मौखिक परीक्षा का शुल्क (आवश्यकतानुसार)	5000
9.	समय वृद्धि शुल्क (आवश्यकतानुसार)	2000
10.	अस्थाई प्रमाण पत्र शुल्क	500
11.	अनुपस्थिति में उपाधि का शुल्क	200
12.	उपाधि की दूसरी प्रति का शुल्क	500
13.	प्रयोगशाला शुल्क (प्रति वर्ष)	1000
14.	दीक्षान्त समारोह शुल्क	1000

(iv) शिक्षण शुल्क /अन्य शुल्क की छूट संबंधी नियम

1. विश्वविद्यालय में अध्ययनरत प्रदेश के सभी वर्गों की छात्राओं/महिलाओं से, स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों को छोड़कर, शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा।
2. ऐसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता/अविभावक आयकरदाता नहीं हैं और वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के हैं और ऐसे भी विद्यार्थी जो गैर आयकरदाता पूर्व-सैन्य जवानों के पालित हैं, उन्हें शिक्षण शुल्क नहीं देना होगा।
3. ऐसे रक्षा कर्मचारियों के पालित/आश्रित (या जो स्वयं पूर्व रक्षा कर्मचारी हैं) जो 1962 के नेफा/लदाख ऑपरेशन और 1971 के भारत-पाक युद्ध में या तो स्थायी तौर पर अक्षम या शहीद हो गए, उन्हें शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क और छात्रावास शुल्क नहीं देना होगा, बशर्ते कि -
 - i. वह परिवार राजस्थान में स्थायी तौर पर बस गए हो,
 - ii. परिवार को 400 रुपये प्रतिमाह से ज्यादा की पेंशन न मिल रही हो, तथा
 - iii. क्षेत्र में कार्यरत संबंधित कमांडिंग अफसर से प्रमाणपत्र की नकल प्रस्तुत करे।
4. जो विद्यार्थी विशेष योग्यजन/दिव्यांग हैं, उन्हें शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क से छूट मिलेगी। हालांकि, उन्हें कम से कम कनिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित और मेडिकल अफसर से सह-हस्ताक्षरित स्थायी विशेष योग्यजन/दिव्यांगता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. दृष्टि शक्ति और श्रव्य शक्ति से वंचित विद्यार्थियों को परीक्षा और शिक्षण शुल्क नहीं देना होगा।
6. स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों को छोड़कर, विश्वविद्यालय में अध्ययनरत शहीदों के पालितों से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा (शहीद राजस्थान के स्थायी निवासी रहे हों)।

टिप्पणियाँ

1. कोई अन्य शुल्क जो यहाँ वर्णित नहीं हैं, कुलपति की अनुमति के बगैर, नहीं वसूले जा सकते।
2. विश्वविद्यालय छोड़ने के तीन अकादमिक वर्ष के भीतर सभी जमा राशि जब्त मानी जाएगी।
3. विद्यार्थी कल्याण अधिष्ठाता के कार्यालय द्वारा निर्गत "विद्यार्थी दुर्घटना सुरक्षा बीमा फॉर्म" सभी विद्यार्थियों को भरना अनिवार्य होगा।